

प्रेस विज्ञप्तिथाना सिधारीयुवती का विडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 08.06.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि अभियुक्त रूपेश यादव पुत्र हरेन्द्र यादव ग्राम शहबाजपुर थाना सिधारी आजमगढ़ ने वादिनी का नहाते हुये विडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुये वादिनी के घर मे घुस गया तथा वादिनी को मारने पीटने की धमकी देने लगा जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 203/24 धारा 354 ग/376/323/452/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 प्रमोद कुमार यादव द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.06.2024 को उ0नि0 प्रमोद कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रूपेश यादव पुत्र हरेन्द्र यादव ग्राम शहबाजपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र 18 वर्ष को रेलवे ओवर ब्रिज सिधारी से समय करीब 07.40 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त- रूपेश यादव पुत्र हरेन्द्र यादव ग्राम शहबाजपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उम्र करीब 18 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 203/24 धारा – 354ग/376/323/452/506 भादवि थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ.नि. प्रमोद कुमार, हे0कां0 देवाश्रय थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

थाना जहानागंजदुर्घटना कर मारने-पीटने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.06.2024 को वादी मुकदमा लल्लन राम पुत्र रामबचन निवासी देवसीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी गाँव से बजार जा रहा था कि रास्ते में अभियुक्त 1-अब्बु शेख पुत्र राशिद शेख व 2-सुहेल अहमद पुत्र बदरे आलम समस्त निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने अपनी मोटर साइकिल से मुझे धक्का मार दिये पूछने पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए चाकू/खंजर से जानलेवा हमला किये जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 287/24 धारा 323, 504, 324, 307 भादवि0 व 3(1) द, 3(1)ध, 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट पंजीकृत कर विवेचना क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.06.2024 को निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1- अब्बु शेख पुत्र राशिद शेख निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2-सुहेल अहमद पुत्र बदरे आलम निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को लंगड़ा बाबा के आगे नहर पुलिया से समय करीब 10:40 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1-अब्बु शेख पुत्र राशिद शेख निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष

2-सुहेल अहमद पुत्र बदरे आलम निवासी मंदे थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 287/2024 धारा 323, 504, 324, 307 भादवि व 3(1) द, 3(1)ध, 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट थाना जहानागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 01 चाकू (घटना मे प्रयुक्त), 01 मोटर साइकिल

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक अपराध सुरेन्द्र दूबे, उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, हे0का0 दिनकर कुशवाहा, का0 राकेश वर्मा थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय
मारपीट करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 10.06.2024 को वादी मुकदमा हरेन्द्र राजभर पुत्र सूर्यबली राजभर निवासी खैरा थाना रानी की सराय आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि विपक्षी विवेक गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ ने वादी को चाउमीन लेने की बात को लेकर को लेकर गाली गलौज करते हुए मारा-पीटा, दांत से अंगुली काटकर अलग कर दिया एवं जान से मारने की धमकी दिया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 158//2024 धारा 323/326/504/506 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 11.06.2024 को उ0नि0 तेजबीर सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त विवेक गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़ को सेमरहा अण्डरपास से समय करीब 08:55 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 158//2024 धारा 323/326/504/506 भादवि0 थाना रानी की सरा जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- विवेक गुप्ता पुत्र गोपाल गुप्ता निवासी हरवंशपुर थाना सिधारी आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 तेजबीर सिंह, कां0 हृदेश गुप्ता, कां0 अमित कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़।